

[[नेशनल ऑयल सीड्स एण्ड वैजिटेबल ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड नियम, 1984 के नियम 4 के उप नियम (1) के खण्ड (1) के साथ पठित नेशनल ऑयल सीड्स एण्ड वैजिटेबल ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड के एक्ट, 1983 (1983 का 29) की धारा 4 की उप धारा (4) के खण्ड (ड) के अनुसरण में यह सभा ऐसी रीति से जैसा सभापति निदेश दें, सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को [[नेशनल ऑयल सीड्स एण्ड वैजिटेबल ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करे ।]]

प्रस्ताव पर मत लिया गया और वह स्वीकृत हुआ।

MOTION FOR ELECTION TO THE GENERAL COUNCIL OF THE INDIAN SCHOOL OF MINES, DHANBAD

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. (श्रीमती) रीता वर्मा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करती हूँ:-

[[इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद के नियम और विनियमों के नियम 15 के खण्ड (3) के साथ पठित नियम 4 के खण्ड (ii) और (iv) अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में यह सभा ऐसी रीति से, जैसा सभापति निदेश दें, सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को जनरल काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करें ।]]

प्रस्ताव पर मत लिया गया और वह स्वीकृत हुआ।

MOTION FOR ELECTION TO THE COURT OF THE ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. (श्रीमती) रीता वर्मा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करती हूँ:-

"अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1981 के अधिन बनाए गए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिनियमों, परिनियम 14 के खण्ड (2) के साथ पठित खण्ड मद (Xxiv) के अनुसरण में यह सभा ऐसी रीति से, जैसा सभापति निर्देश दें, सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करे ।]]

प्रस्ताव पर मत लिया गया और वह स्वीकृत हुआ।

MOTION FOR ELECTION TO THE COUNCIL OF THE INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE, BANGALORE

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. (श्रीमती) रीता वर्मा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करती हूँ:-